# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

मु. नं.– 26/22 शम्भू दयाल बनाम अन्शू वगैरह

किस्ममुकदमा– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

| व हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्राजज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | **1/7/25** अभिभाषकों द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया। जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7/8/25 को पेश हो। | |
| | **07/8/25** पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16/09/25 को पेश हो। | |
| | **16.09.25** पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान को बार-2 आवाज दिलवाई गई। उभय पक्ष अनुपस्थित रहे। पत्रावली लम्बे समय से तलबी में लंबित है। प्रार्थी को बार-2 निर्देशों के बावजूद भी प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 01 लगा 03 के तलबाना सम्मन पेश नहीं किये गये एवं निर्देशों की अवहेलना की गई। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्रावली में कोई भी कार्यवाही के लिए इच्छुक नहीं है। इसलिए पत्रावली प्रार्थी की अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। | |

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)